

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
पटना

पटना, दिनांक-.....

विषय:-

जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-८२/वि०कार्य०, दिनांक ३०.०८.२०१६ के आलोक में वर्ष १९८४ के सिख विरोधी दंगा में मृतक स्व० बेला सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती परमजीत कौर, तख्त श्री हरमंदिर जी, पटना सिटी को मासिक पेंशन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में रु० ६०,०००.०० (साठ हजार रु०) मात्र का आवंटन।

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में जिला पदाधिकारी, पटना को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में जिला पदाधिकारी, पटना को वर्तमान आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में जिला पदाधिकारी, पटना को कुल आवंटित राशि
शून्य	रु० ६०,०००.००(साठ हजार रु०) मात्र	रु० ६०,०००.००(साठ हजार रु०) मात्र

महाशय,

उपरोक्त आवंटित राशि रु० ६०,०००.०० (साठ हजार रु०) मात्र चालू वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में मांग संख्या-२२ के अन्तर्गत बजट शीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-६०-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष-२००-अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष-०००४ दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत, विपत्र कोड सं०-एन २२३५६०२०००००४ के अन्तर्गत विषयशीर्ष-३१ ०२ अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पटना होंगे। राशि की निकासी के समय वित विभाग के परिपत्र सं०-४९८९/बी(२), दिनांक १६.०५.२०१३ में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटनादेश वित विभाग के परिपत्र संख्या-२५६१, दिनांक १७.०४.९८ के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, पटना की होगी।

5. उक्त आवंटित राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा वर्ष १९८४ के सिख विरोधी दंगा में मृतक स्व० बेला सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती परमजीत कौर, तख्त श्री हरमंदिरजी, पटना सिटी को पेंशन भुगतान के रूप में किया जाएगा। किसी भी अन्य योजना के कार्य पर इसका विचलन नहीं किया जायेगा।

6. आवंटित राशि का भुगतान लाभुक की पहचान कर चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

7. जिला पदाधिकारी, पटना का यह दायितव होगा कि भुगतान की गयी राशि का व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को समाप्त यानि वित्तीय वर्ष २०१६-१७ की समाप्ति के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष २०१६-१७ की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

रु०/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

झापांक:-

सी/सी०आई०मि००५०४००५/२००८.....,पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-

महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पठेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रु०/-
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- सी/सी0आई0मिस0-4005/2008.....,पटना, दिनांक
प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना /कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना
/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्टवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- सी/सी0आई0मिस0-4005/2008.....,पटना, दिनांक
प्रतिलिपि:- उप सचिव, प्रशाखा-ए, गृह विभाग(विशेष शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा
पदाधिकारी, प्रशाखा-ए को लेखा संधारण एवं आवश्यक कार्टवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- सी/सी0आई0मिस0-4005/2008.....,पटना, दिनांक 26-9-16
प्रतिलिपि:- ✓आई0टी0प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्टवाई हेतु प्रेषित।

9091

26-9-16

सरकार के विशेष सचिव

Intend
26.09.16